



सत्यमेव जयते

मामला सं. एडी (ओआई) - 41/2025

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/46/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 25.09.2026

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (ओआई) - 41/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टूल्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/46/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए, समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके बाद "एडी नियमावली" अथवा "नियमावली" के रूप में भी संदर्भित) को ध्यान में रखते हुए;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) को इंड-स्प्रिंक्स प्रिंसीजन लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" के रूप में संदर्भित) द्वारा घरेलू

उद्योग की ओर से दायर एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (इसके बाद “संबद्ध देश” के रूप में संदर्भित, तथा संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात को “संबद्ध आयात” के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टूल्स (इसके बाद “विचाराधीन उत्पाद”, “पीयूसी”, “पीसीबी टूल्स” अथवा “संबद्ध वस्तुएँ” के रूप में संदर्भित) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदन की जांच की और पाया कि संबद्ध देश से निर्यात पाटित कीमतों पर किए जा रहे थे तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी, जिसके प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध थे। तदनुसार, नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसरण में, अधिसूचना फा. सं. 6/46/2025-डीजीटीआर दिनांक 26 सितंबर 2025 के माध्यम से प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने तथा पाटन रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जांच शुरू की, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

ख. प्रक्रिया

3. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

जांच की शुरुआत

4. नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पूर्व प्राधिकारी ने भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार को वर्तमान पाटन रोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन की जांच करने पर प्राधिकारी ने पाटन और परिणामी क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए। अतः नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/46/2025-डीजीटीआर दिनांक 26 सितंबर 2025 (“जांच शुरुआत अधिसूचना”) के माध्यम से प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही शुरू की।

जांच अवधि और क्षति अवधि

6. जैसा कि जांच शुरू करने की अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तथा जांच अवधि शामिल है।

आयात आंकड़े

7. प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और आवश्यक विश्लेषण के लिए, लेन-देन की समुचित जांच और पृथक्करण के बाद, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद किसी पृथक समर्पित टैरिफ मद के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है।

आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिचालन

8. एडी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से उपलब्ध कराई। आवेदन का अगोपनीय संस्करण दिनांक 7 अक्टूबर 2025 के ई-मेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया।

संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भागीदारी

9. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।
10. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से प्रश्नावलियां भेजीं। संबद्ध देश की सरकार से जांच शुरू करने की अधिसूचना और प्रश्नावलियां चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को अग्रेषित करने तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया। निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने इन कार्यवाहियों में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक	जांच अवधि में भारत को निर्यात की मात्रा (मात्रा)
1.	केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***

आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा भागीदारी

11. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को आयातक और उपयोगकर्ता प्रश्नावली भेजी। निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने वर्तमान कार्यवाहियों में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है:

क्र. सं.	आयातक/उपयोगकर्ता	दायर उत्तर
1.	एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर और आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर

2.	सेन्सेशन सिस्टम्स	कोई नहीं
----	-------------------	----------

पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

12. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची 20 नवंबर 2025 को प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाहियों में उनके सभी अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया।

आर्थिक हित प्रश्नावली

13. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/उपयोगकर्ताओं, घरेलू उद्योग तथा भारत के अन्य ज्ञात उत्पादकों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर घरेलू उद्योग, केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड तथा एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किए गए हैं।

मौखिक सुनवाई

14. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को 5 अगस्त 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से 10 अगस्त 2026 तक लिखित अनुरोध और उसके बाद 15 अगस्त 2026 तक प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया। घरेलू उद्योग केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड तथा एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिखित अनुरोध, दायर किए गए हैं।

आगे की प्रक्रिया

15. जांच शुरू करने की अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र ("उत्पाद कार्यक्षेत्र") और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दायर करने का निर्देश दिया गया था; उक्त अवधि 22 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुई। आवेदक ने 28 अक्टूबर 2025 के अपने अनुरोध के माध्यम से टिप्पणियां दायर कीं। दायर अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने 3 नवंबर 2025 की सूचना के माध्यम से संशोधित उत्पाद कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की। केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने 6 नवंबर 2025 के अनुरोध के माध्यम से संशोधित पद्धति पर अपनी टिप्पणियां दायर कीं। उन टिप्पणियों तथा उन पर घरेलू उद्योग की सहमति पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने 1 दिसंबर 2025 की सूचना के माध्यम से अंतिम उत्पाद कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की, जिसे डीजीटीआर की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया।

16. प्राधिकारी ने सहयोगी पक्षकारों से पूरक सूचना मांगी। केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने 10 अप्रैल 2026 के अपने उत्तर के माध्यम से अपने बिक्री चैनलों, स्वयं निर्मित वस्तुओं के निर्यात तथा अपनी निवल निर्यात कीमत और पहुँच कीमत की गणना से संबंधित अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराई।
17. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाहियों के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण के लिए हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
18. प्राधिकारी ने यह पता लगाने के लिए विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की गणना की कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए, भारत में घरेलू समान वस्तु की उत्पादन की इष्टतम लागत तथा उत्पादन और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है।
19. प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों को तैयार करते समय कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों की, जहां तक वे साक्ष्य से समर्थित थे और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने गए, जांच की है।
20. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाहियों के दौरान सूचना तक पहुँच देने से इनकार किया है या अन्यथा आवश्यक सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
21. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां उचित था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
22. प्राधिकारी ने जांच के दौरान, जहां तक संभव था, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई उस सूचना की सटीकता से स्वयं को संतुष्ट किया है जो वर्तमान अंतिम जांच परिणामों का आधार है, तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का, जहां तक प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक समझा गया, सत्यापन किया है।

23. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार दिनांक 17.09.2026 को प्रकटन विवरण जारी किया गया, जिसमें वर्तमान पाटनरोधी जांच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर इन अंतिम निष्कर्षों में उस सीमा तक विचार किया गया है, जिस सीमा तक वे संगत और अपुनरावृत्त पाई गई।
24. इन अंतिम जांच परिणामों में “***” किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
25. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 85.43 है, जो आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण हेतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित तथा जांच अवधि के दौरान प्रभावी विनिमय दरों का औसत है। यही दर संपूर्ण अंतिम जांच परिणामों में लागू की गई है।

स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र, समान वस्तु और पीसीएन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“एटी एंड एस”) और केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (“केमर”) ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि आवेदक पीयूसी के बाहर के पीसीबी टूल्स का भी उत्पादन करता है, इसलिए उन्होंने प्राधिकारी से यह सत्यापित करने का अनुरोध किया कि पीयूसी से संबंधित उत्पादन, बिक्री, लागत और लाभप्रदता को गैर-पीयूसी उत्पादों से संबंधित उत्पादन, बिक्री, लागत और लाभप्रदता से उचित रूप से पृथक किया गया है।
 - ii. तदनुसार यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकारी यह सत्यापित करें कि क्या आवेदक ने पीयूसी-विशिष्ट उत्पादन, बिक्री और अन्य सूचना को सही रूप से पृथक किया है तथा पीयूसी और गैर-पीयूसी के बीच लागत और लाभप्रदता का उचित आबंटन किया है।
 - iii. केमर ने पूर्ववर्ती 0.20-1.74 मि.मी. फ्लूट-व्यास बैंड पर आपत्ति की और कहा कि इसमें 0.50 मि.मी. तक के माइक्रो-ड्रिल तथा 0.50 मि.मी. से अधिक के मानक ड्रिल को एक साथ रखा गया था। केमर के अनुसार, इन उत्पादों में विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल के उपयोग, लागत और बिक्री कीमत में अंतर है। अतः इन्हें एक ही पीसीएन के अंतर्गत

रखने से पाटन और क्षति मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं। केमर ने अपने दावे के समर्थन में नमूना बीजक प्रस्तुत किए और पीसीबी ड्रिल के लिए नौ-बैंड संरचना प्रस्तावित की।

- iv. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने 1 दिसंबर 2025 को अधिसूचित अंतिम कार्यक्षेत्र से पीसीबी ड्रिल, पीसीबी राउटर अथवा किसी पीसीएन को बाहर रखने का अनुरोध नहीं किया। एटी एंड एस ने यह भी स्वीकार किया कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु है। तथापि, एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया कि उसके एचडीआई पीसीबी उत्पादन के लिए अत्यंत कड़े तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करने वाले टूल्स की आवश्यकता होती है, विशेषकर अत्यंत छोटे माइक्रोविया वाले अनुप्रयोगों के लिए, और दावा किया कि घरेलू उद्योग इन विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले टूल्स की आपूर्ति करने में असमर्थ है।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. विचाराधीन उत्पाद में 3.175 मि.मी. के मानकीकृत शैंक व्यास वाले पीसीबी ड्रिल और पीसीबी राउटर शामिल हैं। पीसीबी ड्रिल ऐसे परिशुद्ध टूल्स हैं जिन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की अनेक परतों में यांत्रिक और विद्युत अंतर-संबंध सक्षम करने हेतु छिद्र बनाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है और इनके व्यास का आकार सामान्यतः 0.20 मि.मी. से 7.50 मि.मी. तक होता है। पीसीबी राउटर ऐसे परिशुद्ध टूल्स हैं जिनका उपयोग थ्रू-होल बनाए बिना स्लॉट काटकर अथवा बोर्ड की बाहरी रूपरेखा निर्धारित करके सब्सट्रेट को आकार देने के लिए किया जाता है और इनके बिट व्यास सामान्यतः 0.50 मि.मी. से 3.175 मि.मी. तक होते हैं।
 - ii. किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच शुरू करने की अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए पीयूसी का कार्यक्षेत्र निर्विवाद और अंतिम है।
 - iii. पीसीएन पद्धति के संबंध में आवेदक ने 28 अक्टूबर 2025 के अपने अनुरोध के माध्यम से संशोधित पद्धति दायर की। प्राधिकारी ने 3 नवंबर 2025 को पद्धति संशोधित की और केमर की टिप्पणियों तथा आवेदक की सहमति पर विचार करने के बाद 1 दिसंबर 2025 को पद्धति को अंतिम रूप दिया। अतः पद्धति अंतिम हो चुकी है और इस संबंध में आवेदक की कोई और टिप्पणी नहीं है।
 - iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं,

विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं; वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं; और उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर विनिमय रूप से उपयोग किया है और कर रहे हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. जांच शुरू करने के चरण में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद ‘प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (‘पीसीबी’) टूल्स’ अर्थात् पीसीबी ड्रिल और पीसीबी राउटर है। पीसीबी ड्रिल और पीसीबी राउटर को क्रमशः पीसीबी ड्रिल बिट्स और पीसीबी राउटर बिट्स के नाम से भी जाना जाता है। पीयूसी 3.175 मि.मी. के मानकीकृत आकार के शैंक व्यास वाले पीसीबी ड्रिल और पीसीबी राउटर तक सीमित है। ‘शैंक व्यास’ से आशय टूल के बेलनाकार भाग की मोटाई से है। टूल के शैंक भाग को मशीनिंग उपकरण में क्लैम्प किया जाता है, जिससे पीसीबी विनिर्माण उपकरण में प्रयुक्त मानक कोलेट और स्पिंडल के साथ संगतता सुनिश्चित होती है।”

29. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 82, जिसका शीर्षक “आधार धातु के औजार, उपकरण, कटलरी, चम्मच और कांटे; उनके आधार धातु के भाग” है, के अंतर्गत टैरिफ मदों 82075000, 82077090 और 82079090 में वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

30. जांच शुरू करने की अधिसूचना में सभी हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्पाद कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच के किसी भी चरण में किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस प्रकार परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से किसी वस्तु को बाहर रखने अथवा उसमें कोई संशोधन करने का अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की अधिसूचना में अधिसूचित पीयूसी के उसी कार्यक्षेत्र को बिना किसी परिवर्तन के अपनाया है।

31. पीसीएन पद्धति के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पद्धति को क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया, जिसमें प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को प्रभावी रूप से सुने जाने का अवसर मिला। जांच शुरू करने के चरण में अधिसूचित पद्धति में केवल एक मानदंड, अर्थात् पीसीबी टूल का प्रकार, शामिल था। सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं और केवल आवेदक से टिप्पणियां प्राप्त हुईं। फ्लूट व्यास की सीमाएं और लेपन स्थिति जोड़ते हुए संशोधित पद्धति 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित की गई। इसके बाद केमर ने 0.20 मि.मी. से 1.74 मि.मी. बैंड को विभाजित करने का अनुरोध

किया; घरेलू उद्योग ने सहमति दी; और प्राधिकारी ने अनुरोध को पूर्णतः स्वीकार करते हुए 1 दिसंबर 2025 को अंतिम पद्धति अधिसूचित की। अंतिम पीसीएन पद्धति में तीन मानदंड हैं, अर्थात् पीसीबी टूल का प्रकार, फ्लूट व्यास की सीमा और लेपन स्थिति, जो निम्नानुसार हैं:

मानदंड-1	मानदंड-2		मानदंड-3	पीसीएन कोड	
पीसीबी ड्रिल	फ्लूट व्यास (मि.मी.)	पीसीएन कोड	लेपित/अलेपित	यदि लेपित	यदि अलेपित
पीसीबीडी	< 0.20	क	सीसी/यूसी	पीसीडीएसीसी	पीसीडीएयूसी
पीसीबीडी	0.20 से 0.50	ख	सीसी/यूसी	पीसीडीबीसीसी	पीसीडीबीयूसी
पीसीबीडी	0.51 से 1.74	ग	सीसी/यूसी	पीसीडीसीसीसी	पीसीडीसीयूसी
पीसीबीडी	1.75 से 3.54	घ	सीसी/यूसी	पीसीडीडीसीसी	पीसीडीडीयूसी
पीसीबीडी	3.55 से 4.54	ड.	सीसी/यूसी	पीसीडीईसीसी	पीसीडीईयूसी
पीसीबीडी	4.55 से 5.54	च	सीसी/यूसी	पीसीडीएफसीसी	पीसीडीएफयूसी
पीसीबीडी	5.55 से 6.54	छ	सीसी/यूसी	पीसीडीजीसीसी	पीसीडीजीयूसी
पीसीबीडी	6.55 से 7.00	ज	सीसी/यूसी	पीसीडीएचसीसी	पीसीडीएचयूसी
पीसीबीडी	> 7.00	झ	सीसी/यूसी	पीसीडीआईसीसी	पीसीडीआईयूसी

उदाहरणार्थ, 1.80 मि.मी. फ्लूट व्यास वाले लेपित पीसीबी ड्रिल का पीसीएन "पीसीडीडीसीसी" है।

मानदंड-1	मानदंड-2		मानदंड-3	पीसीएन कोड	
पीसीबी राउटर	फ्लूट व्यास (मि.मी.)	पीसीएन कोड	लेपित/अलेपित	यदि लेपित	यदि अलेपित
पीसीबीआर	< 0.80	ए	सीसी/यूसी	पीसीबीआरएसीसी	पीसीबीआरएयूसी
पीसीबीआर	0.800 से 3.175	बी	सीसी/यूसी	पीसीबीआरबीसीसी	पीसीबीआरबीयूसी
पीसीबीआर	> 3.175	सी	सीसी/यूसी	पीसीबीआरसीसीसी	पीसीबीआरसीयूसी

उदाहरणार्थ, 1.90 मि.मी. फ्लूट व्यास वाले लेपित पीसीबी राउटर का पीसीएन "पीसीबीआरसीसी" है। ड्रिल कोड में "पीसीडी" स्ट्रिंग पीसीबी ड्रिल को दर्शाती है, जिसे मानदंड-1 वाले कॉलम में "पीसीबीडी" के रूप में दिखाया गया है।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 2(घ) में "समान वस्तु" को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत में पाटन हेतु जांचाधीन वस्तु के सभी पहलुओं में समान अथवा एक जैसी हो, अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु, जो सभी

पहलुओं में एक जैसी न होते हुए भी जांचाधीन वस्तु की विशेषताओं से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं रखती हो।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता कि आयातित पीसीबी टूल्स लेपित हैं अथवा अलेपित। अतः आयात विश्लेषण के लिए सभी आयातित टूल्स को अलेपित माना गया है। यह एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है क्योंकि लेपित टूल्स की लागत अधिक होती है और उनकी क्षति रहित कीमत भी अधिक होती है। इसलिए सभी आयातों को अलेपित मानने से क्षति मार्जिन को अधिक दर्शाए जाने से बचा जाता है।
34. प्राधिकारी सहमत हैं कि क्षति का आकलन केवल विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तदनुसार, उत्पादन, बिक्री, लागत और वित्तीय आंकड़ों की पीयूसी-विशिष्ट आधार पर जांच की गई है और क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए केवल पीयूसी से संबंधित लागतों पर विचार किया गया है।
35. समान वस्तु के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का यह दावा कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है, किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विवादित नहीं किया गया है; तथा प्रमुख उपयोगकर्ता और आयातक एटी एंड एस ने स्वयं घरेलू उत्पाद को समान वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि एटी एंड एस ने उच्च-स्तरीय और एचडीआई अनुप्रयोगों के लिए कुछ तकनीकी आवश्यकताओं के संबंध में चिंताएं उठाई हैं, तथापि अभिलेख पर कोई विशिष्ट पीसीएन अथवा उत्पाद विनिर्देश ऐसा स्थापित नहीं किया गया है जो घरेलू उद्योग से उपलब्ध न हो। दोनों आवश्यक उत्पाद विशेषताओं, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. किसी हितबद्ध पक्षकार ने इंड-स्प्रिंकस प्रिंसीजन लिमिटेड को घरेलू उद्योग माने जाने की पात्रता अथवा आवेदन की स्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य-समर्थित आपत्ति नहीं उठाई है। इस संबंध में एटी एंड एस और केमर ने केवल यह अनुरोध किया है कि क्षति निर्धारण के लिए जिन उत्पादन और वित्तीय आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, उन्हें विचाराधीन उत्पाद तक सीमित रखा जाए; इस मुद्दे को ऊपर संबंधित पैरा में निपटाया जा चुका है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- इंड-स्प्रिंक्स प्रिंसीजन लिमिटेड भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक प्रमुख उत्पादक है। एक अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादक, अर्थात् सीटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है, जिसके उत्पादन और क्षमता का विवरण आवेदन में अभिलेख पर रखा गया है।
- जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा लगभग ***% था।
- आवेदक ने न तो संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, और न ही वह संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में उसके किसी आयातक से संबंधित है। अतः वह नियमावली के नियम 2(ख) को नियम 5(3) के साथ पढ़े जाने पर निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है। आवेदक की स्थिति को किसी हितबद्ध पक्षकार ने विवादित नहीं किया है और इसलिए इसे स्वीकार किया जा सकता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. नियमावली का नियम 2(ख) "घरेलू उद्योग" को समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबद्ध किसी गतिविधि में लगे घरेलू उत्पादकों के समग्र रूप में अथवा ऐसे उत्पादकों के रूप में परिभाषित करता है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात हो; तथापि, जहां ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, वहां उन्हें इससे बाहर रखा जा सकता है।
39. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आवेदक और अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादक के उत्पादन की जांच की है। प्रासंगिक सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	उत्पादक	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	इंड-स्प्रिंक्स प्रिंसीजन लिमिटेड	मात्रा	***	***	***	***
2	सीटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अनुमानित)	मात्रा	***	***	***	***
3	कुल भारतीय उत्पादन	मात्रा	***	***	***	***
4	आवेदक का हिस्सा	%	***	***	***	***

40. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा लगभग ***% था। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, न ही वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में उनके किसी आयातक से संबंधित है, और इन तथ्यों में से किसी को भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने विवादित नहीं किया है।
41. तदनुसार प्राधिकारी मानते हैं कि इंड-स्फिंक्स प्रिंसीजन लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में “घरेलू उद्योग” है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. केमर ने प्रस्तुत किया कि संशोधित पीसीएन संरचना प्रस्तावित करने वाले घरेलू उद्योग के अनुरोध का अगोपनीय संस्करण, 3 नवंबर 2025 को पीसीएन पद्धति संशोधित किए जाने से पहले उसे उपलब्ध नहीं था और इसलिए वह उस चरण में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं कर सका।
- ii. भाग लेने वाले पक्षकारों ने लेन-देन-वार कीमतों, ग्राहकों की पहचान, लागत, लाभप्रदता, वाणिज्यिक शर्तों और अन्य व्यवसाय-संवेदनशील सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- i. घरेलू उद्योग ने एटी एंड एस द्वारा अपने उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर में किए गए गोपनीयता दावे की सीमा पर और पूर्ववर्ती चरण में एटी एंड एस के आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर की अनुपलब्धता पर आपत्ति की है। उसने प्रस्तुत किया है कि उत्पादन प्रक्रिया, लागत प्रवृत्तियों और डाउनस्ट्रीम प्रभाव के परिमाणीकरण से संबंधित सूचना का अगोपनीय संस्करण में सार्थक सारांश दिया जाना चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत गोपनीयता के दावों की जांच की है। लेन-देन का विवरण, लागत, ग्राहक विवरण और लाभप्रदता जैसी वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना को जहां उचित पाया गया, गोपनीय रखा गया है। साथ ही, जहां संभव हो, पक्षकारों से सार्वजनिक अभिलेख के लिए अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।
- ii. केमर की चिंता के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण परिचालित करना आवश्यक है। तथापि, 3 नवंबर 2025 को संशोधित पीसीएन पद्धति अधिसूचित होने के बाद केमर को उस पर टिप्पणी करने

का अवसर दिया गया। उसकी टिप्पणियों पर विचार किया गया और केमर द्वारा मांगा गया परिवर्तन 1 दिसंबर 2025 को अधिसूचित अंतिम पीसीएन पद्धति में स्वीकार किया गया।

- iii. घरेलू उद्योग की आपत्ति के संबंध में, एटी एंड एस ने उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर और आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर दोनों दायर किए हैं। उसके उपभोग और लागत संबंधी सूचना पर प्रभाव आकलन में विचार किया गया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि किसी उत्तर को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कुछ वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना गोपनीय रखी गई है। तथापि, असमर्थित दावों पर भरोसा नहीं किया गया है और सभी पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण परिचित कराना आवश्यक है।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

- i. केमर ने प्रस्तुत किया है कि उसके निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारत को निर्यात के दो पृथक चैनल दर्शाए गए हैं। पहले चैनल में स्वयं केमर द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे आपूर्ति किया गया। दूसरे चैनल में संबद्ध देश के किसी अन्य असंबद्ध उत्पादक से खरीदी गई और भारत के ग्राहकों को पुनः बेची गई संबद्ध वस्तुएं शामिल हैं, जिनके संबंध में केमर केवल व्यापारी के रूप में कार्य करता है और संबंधित उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है। केमर ने प्रस्तुत किया है कि उसकी निर्यात कीमत और पहुँच कीमत के निर्धारण के लिए केवल पहले चैनल पर विचार किया जाना चाहिए।
- ii. केमर ने चीन जनवादी गणराज्य से एल्युमिनियम फॉइल के आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा में 14 मार्च 2022 के अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा किया है, जिसमें प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादक की कारखाना-द्वार निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के प्रयोजन से केवल उन्हीं निर्यात लेन-देन पर विचार किया था जिन वस्तुओं का विनिर्माण सहयोगी उत्पादक द्वारा किया गया था।
- iii. एटी एंड एस और केमर ने प्रस्तुत किया है कि आवेदन में स्वयं दर्ज है कि घरेलू उद्योग भारतीय मांग का केवल लगभग ***% से ***% पूरा करने की क्षमता रखता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि शेष मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं; चीन जनवादी गणराज्य से आयात मांग की वृद्धि के अनुरूप, बल्कि उससे भी कम, बढ़े हैं; और जहां ऐसे आयातों का एक महत्वपूर्ण भाग स्वीकार किए गए मांग-आपूर्ति अंतर को पूरा करता

हो, वहां केवल पर्याप्त आयातों का अस्तित्व अपने-आप में क्षतिकारक पाटन का साक्ष्य नहीं है।

- iv. एटी एंड एस ने आगे प्रस्तुत किया है कि वह विचाराधीन उत्पाद घरेलू उद्योग से खरीदने के साथ-साथ आयात भी करता है; आयात इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि घरेलू उद्योग के पास न तो पर्याप्त क्षमता है और न ही उसकी गुणवत्ता आवश्यकताओं और विशिष्ट तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करने की क्षमता है; तथा उसके एचडीआई उत्पादन के लिए ऐसे विनिर्देश वाले टूल्स की आवश्यकता होती है जिनकी घरेलू उद्योग आपूर्ति नहीं कर सकता।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

- i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि सेंसेशन सिस्टम्स ने केवल हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया, परंतु उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर, आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर अथवा कोई सहायक सूचना दायर नहीं की। *मेरिनो पैनेल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* पर भरोसा करते हुए उसने प्रस्तुत किया है कि केवल पंजीकरण पर्याप्त नहीं है और किसी आयातक को नियम 2(ग) के अंतर्गत अपेक्षित प्रश्नावली सूचना प्रस्तुत करके अपनी स्थिति स्थापित करनी होती है।
- ii. घरेलू उद्योग ने 29 नवंबर 2025 के अपने पत्र और सुनवाई-पश्चात लिखित अनुरोधों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि भारत में पाटन रोधी शुल्क उत्पादक पर लगाया जाता है, व्यापारी अथवा निर्यातक पर नहीं; दूसरे चैनल के लेन-देन केमर की उत्पादन लागत, कीमत निर्धारण निर्णय अथवा निर्यात व्यवहार को प्रतिबिंबित नहीं करते; जिस उत्पादक से वस्तुएं खरीदी गईं उसने सहयोग नहीं किया है; और इसलिए ऐसे लेन-देन अवशिष्ट अथवा असहयोगी श्रेणी में आने चाहिए।
- iii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि मांग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व पाटन के विरुद्ध कोई बचाव नहीं है; उसके पास उपलब्ध और अप्रयुक्त क्षमता है; उसने जांच अवधि के दौरान वास्तव में एटी एंड एस को आपूर्ति की है; वह उचित बाजार परिस्थितियों में उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है; तथा पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते और इससे केवल अनुचित कीमत निर्धारण का समाधान किया जाता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

ऐसे आयातक की भागीदारी जिसने प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है

42. प्राधिकारी प्राधिकारी नोट करते हैं कि सेंसेशन सिस्टम्स ने न तो प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर किया है, न आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है और न ही वर्तमान जांच के

किसी चरण में कोई लिखित या मौखिक अनुरोध किया है। अतः उस पक्षकार का कोई भी अनुरोध अभिलेख पर नहीं है, जिस पर इन अंतिम निष्कर्षों में विचार करना अपेक्षित हो। फिर भी, प्राधिकारी इस स्थापित स्थिति को मानते हैं कि हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लेने की इच्छा रखने वाली किसी इकाई को लागू प्रश्नावली में मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करके अपनी स्थिति स्थापित करनी होगी, और जहां ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, वहां प्राधिकारी नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने के हकदार हैं।

सहयोगी निर्यातक द्वारा विनिर्मित न की गई वस्तुओं के निर्यात का व्यवहार

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मुद्दे पर पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है। विशिष्ट उत्पादक-निर्यातक संयोजन के संबंध में व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और परिणामस्वरूप व्यक्तिगत शुल्क निर्धारित करना प्राधिकारी की स्थापित पद्धति है; और ऐसे उत्पादक द्वारा विनिर्मित वस्तुएं जिसने जांच में भाग नहीं लिया है, केवल इस कारण सहयोगी उत्पादक के लिए निर्धारित व्यक्तिगत मार्जिन का लाभ नहीं ले सकतीं कि उन्हें उस सहयोगी निर्यातक के माध्यम से निर्यात किया गया है। कोई अन्य दृष्टिकोण अवशिष्ट शुल्क के अपवंचन की अनुमति देगा।
44. तदनुसार प्राधिकारी ने केमर के संबंध में निवल निर्यात कीमत, पहुंच कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण केवल उन *** मात्रा संबद्ध वस्तुओं के आधार पर किया है जिनका विनिर्माण स्वयं केमर ने किया और जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया। संबद्ध देश के किसी अन्य उत्पादक द्वारा विनिर्मित और केमर द्वारा भारत को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुएं अवशिष्ट अथवा असहयोगी श्रेणी में आती हैं।

मांग-आपूर्ति अंतर और उपयोगकर्ता-विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताएं

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व अपने-आप में न तो पाटन और न ही वास्तविक क्षति को नकारता है। न अधिनियम और न नियमावली घरेलू उद्योग को राहत की शर्त के रूप में संपूर्ण घरेलू मांग की आपूर्ति करने में सक्षम होने की अपेक्षा करते हैं; प्रासंगिक जांच यह है कि क्या आयात पाटित हैं और क्या ऐसे पाटित आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच अवधि में आवेदक के पास *** मात्रा स्थापित क्षमता के मुकाबले *** मात्रा उत्पादन था, जिससे लगभग *** मात्रा अप्रयुक्त क्षमता उपलब्ध थी, और बाजार में दूसरा भारतीय उत्पादक भी उपस्थित है। अतः यह अनुरोध आर्थिक हित और जनहित के आकलन के लिए प्रासंगिक है और नीचे संबंधित पैरा में उस संदर्भ में इसकी जांच की गई है, किंतु इससे पाटन, क्षति अथवा कारणात्मक संबंध का निर्धारण अप्रभावित रहता है।
46. एटी एंड एस के तकनीकी और एचडीआई-संबंधी अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटी एंड एस ने स्वयं घरेलू उत्पाद को समान वस्तु माना है और जांच अवधि के

दौरान घरेलू खरीद की है; तथा ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित कोई पीसीएन-विशिष्ट अपवर्जन अनुरोध सिद्ध नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो कि कोई परिभाषित उत्पाद प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता अथवा उसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती। अतः प्राधिकारी इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना उचित नहीं मानते हैं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. केमर ने प्रस्तुत किया कि उसने जांच में पूर्ण सहयोग किया है और अपेक्षित निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किया है। इसलिए उसने अनुरोध किया है कि उसका सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुँच कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन उसकी स्वयं की सत्यापित सूचना के आधार पर पृथक रूप से निर्धारित किए जाएं और उस पर लागू कोई शुल्क उसके व्यक्तिगत मार्जिन पर आधारित हो। एटी एंड एस ने इस अनुरोध का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि जिस सहयोगी उत्पादक के अपने मार्जिन सकारात्मक नहीं हैं, उस पर असहयोगी उत्पादकों पर लागू अवशिष्ट शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
- ii. केमर ने कहा है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दावा नहीं कर रहा है। तदनुसार उसने चीन जनवादी गणराज्य में अपनी घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का अनुरोध नहीं किया है।
- iii. केमर ने प्रस्तुत किया कि भारत को उसके निर्यात असंबद्ध ग्राहकों को सीधे कारखाना-द्वार आधार पर किए गए थे। निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए बीजक मूल्य से ऋण लागत और बैंक प्रभार घटाए गए। पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए सीआईएफ कीमत प्राप्त करने हेतु अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह व्यय, समुद्री भाड़ा और बीमा जोड़े गए, और उसके बाद मूल सीमा शुल्क तथा लागू समाज कल्याण अधिभार जोड़ा गया।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- i. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों तथा निर्यातकों से यह प्रदर्शित करने को कहा जाना चाहिए कि समान वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। ऐसा प्रदर्शित न किए जाने तक सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ii. आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत से संबंधित सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका

क्योंकि ऐसी सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अतः नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में परिकल्पित तीसरी पद्धति के अनुसार सामान्य मूल्य का दावा भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ मार्जिन के लिए समुचित समायोजन करके किया गया है।

- iii. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- iv. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि किसी असंबद्ध गैर-भागीदार उत्पादक द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के केमर द्वारा किए गए निर्यात को केमर की व्यक्तिगत निर्यात कीमत के निर्धारण का भाग नहीं बनाया जाना चाहिए और उन्हें इसके बजाय अवशिष्ट अथवा असहयोगी दायरे में रखा जाना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 47. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में उपभोग हेतु निर्धारित समान वस्तु की सामान्य व्यापार प्रक्रिया में तुलनीय कीमत से है। नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 8 उपबंध करता है कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य उस अनुबंध के पैरा 7 में दिए गए आधार पर निर्धारित किया जाएगा। पैरा 8(3) के अनुसार उत्तर देने वाले उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा इसका खंडन किए जाने के अधीन, पैरा 8(2) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है।
- 48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किया है और वर्तमान जांच में सहयोग किया है:
 - i. केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक)।
- 49. संबद्ध देश के किसी अन्य उत्पादक अथवा निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है अथवा वर्तमान जांच में अन्यथा सहयोग नहीं किया है, यद्यपि जांच शुरू करने की अधिसूचना और निर्यातक प्रश्नावली ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भेजी गई थीं।

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

- 50. जांच शुरू करने की अधिसूचना में संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों से निर्धारित प्रारूप में यह प्रदर्शित करने को कहा गया था कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं। एकमात्र भाग लेने वाले उत्पादक और निर्यातक केमर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दावा नहीं कर रहा है। संबद्ध देश के

किसी अन्य उत्पादक अथवा निर्यातक ने पैरा 8(2) की धारणा का खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का कोई दावा अथवा अन्य खंडन दायर नहीं किया है। अतः संबद्ध देश के संबंध में सामान्य मूल्य अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा; अथवा जहां ऐसा संभव न हो, वहां किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई अथवा देय कीमत, जिसे आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया हो, भी शामिल है...”

51. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों की जांच की है। पहला, घरेलू उद्योग सहित किसी हितबद्ध पक्षकार ने उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में समान वस्तु की कीमत अथवा निर्मित मूल्य के संबंध में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अतः पहला विकल्प लागू नहीं किया जा सका। दूसरा, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातित समान वस्तु की कीमत का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, ट्रेड मैप जैसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यापार डेटाबेस समेकित टैरिफ-मद स्तर पर आंकड़े उपलब्ध कराते हैं और वर्तमान मामले में अपेक्षित जांच-विशिष्ट पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध नहीं कराते। चूंकि पीसीबी टूल्स को टूल के प्रकार, फ्लूट व्यास और लेपन के आधार पर अनेक तकनीकी पीसीएन में विभाजित किया गया है, ऐसे समेकित आंकड़ों से समुचित समान-से-समान तुलना संभव नहीं होगी। इसलिए दूसरा विकल्प भी उपयुक्त नहीं माना गया। तदनुसार, पहले दो विकल्प विश्वसनीय और उपयोग योग्य रूप में उपलब्ध न होने के कारण प्राधिकारी पैरा 7 में परिकल्पित तीसरे आधार, अर्थात् “किसी अन्य उचित आधार, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई अथवा देय कीमत, जिसे आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया हो”, पर आगे बढ़े हैं और अनुबंध-III के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलित भारत में समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की लागत के संदर्भ में, उचित लाभ जोड़कर, सामान्य मूल्य निर्मित किया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड

52. केमर चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक है और उसने 10 अप्रैल 2026 के पूरक उत्तर सहित निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किया है। उसने

संबद्ध वस्तुओं का भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे कारखाना-द्वार आधार पर निर्यात किया है। ऊपर संबंधित पैरा में दर्ज कारणों से, उसके व्यक्तिगत निर्धारण के लिए केवल स्वयं केमर द्वारा विनिर्मित *** मात्रा संबंध वस्तुओं को ध्यान में रखा गया है।

53. कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत प्राप्त करने के लिए कारखाना-द्वार बीजक मूल्य से ऋण लागत और बैंक प्रभार घटाए गए हैं। पहुँच कीमत प्राप्त करने के लिए कारखाना-द्वार कीमत में अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह और अन्य व्यय तथा समुद्री भाड़ा और बीमा जोड़कर सीआईएफ कीमत प्राप्त की गई है, और उसमें मूल सीमा शुल्क तथा उस पर समाज कल्याण अधिभार जोड़ा गया है। दावा किए गए समायोजनों की सहायक अभिलेखों के संदर्भ में जांच की गई है और उन्हें स्वीकार्य तथा सत्यापन योग्य पाए जाने की सीमा तक अनुमत किया गया है। पीसीएन-वार स्थिति निम्नानुसार है:

पीसीएन	मात्रा (मात्रा)	बीजक मूल्य (अमेरिकी डॉलर)	निवल निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	निवल निर्यात कीमत (रु./मात्रा)	सीआईएफ (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	पहुँच कीमत (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	पहुँच कीमत (रु./मात्रा)
पीसीडीबीयूसी	***	***	***	***	***	***	***
पीसीडीसीयूसी	***	***	***	***	***	***	***
पीसीडीडीयूसी	***	***	***	***	***	***	***
कुल	***	***	***	***	***	***	***

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

54. चीन जनवादी गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है, जिसके लिए केमर से संबंधित लेन-देन को बाहर करने के बाद डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आयात आंकड़ों का उपयोग किया गया है।
55. असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

56. ऊपर दिए अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार व्यापार स्तर पर की गई है। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के मामले में विचाराधीन उत्पाद के निर्मित सामान्य मूल्य की तुलना उसके प्रश्नावली उत्तर में रिपोर्ट की गई और प्राधिकारी द्वारा जांच की

गई उसकी स्वयं की भारित औसत निवल निर्यात कीमत, अर्थात *** अमेरिकी डॉलर प्रति मात्रा, से की गई है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में तुलना उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से की गई है।

57. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक	निर्यात की मात्रा (मात्रा)	सामान्य मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	पाटन मार्जिन (%)	सीमा (%)
1	केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	(10-20)
2	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	***	30-40

58. तदनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन ऋणात्मक है, जबकि संबद्ध देश के अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के संबंध में यह सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात में वृद्धि मुख्यतः मांग में वृद्धि के अनुरूप रही और 2023-24 के स्तर की तुलना में जांच अवधि में आयात घटे। अतः उन्होंने तर्क दिया कि जांच अवधि में आयातों में कोई नई तीव्र वृद्धि नहीं हुई।
 - उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सेदारी और मालसूची की स्थिति में सुधार हुआ। यद्यपि आवेदक घाटे में बना रहा, घाटे की गति का आयात मात्रा अथवा आयात कीमतों से सीधा संबंध नहीं था और इसलिए वित्तीय गिरावट को केवल संबद्ध आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

- iii. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अन्य लागत कारकों ने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया हो सकता है। स्थापित क्षमता में किसी वृद्धि के बिना क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी मजदूरी और निवल स्थिर परिसंपत्तियां बढ़ीं। हितबद्ध पक्षकारों के अनुसार, इन वृद्धियों की कारणात्मक संबंध विश्लेषण में संभावित गैर-आयात कारकों के रूप में जांच की जानी चाहिए।
- iv. एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया कि पीसीबी का एक प्रमुख आयातक होने के कारण उसके पीसीबी उत्पादन में कमी से जांच अवधि के दौरान पीसीबी टूल्स के आयात में कमी आई। अतः आयातों में गिरावट पाटन-संबंधी कारकों के बजाय उपयोगकर्ता मांग में कमी के कारण हो सकती है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

60. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात पर्याप्त बने हुए हैं और आधार वर्ष के स्तर से काफी अधिक हैं। भारतीय उत्पादन के सापेक्ष उनकी हिस्सेदारी आधार वर्ष में लगभग ***% से बढ़कर जांच अवधि में लगभग ***% हो गई और संबद्ध आयात भारतीय मांग के एक प्रमुख हिस्से के लिए उत्तरदायी बने रहे।
 - ii. यह प्रस्तुत किया गया कि मार्च 2024 में कुछ बेयर पीसीबी पर पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय पीसीबी उत्पादन में वृद्धि से पीसीबी टूल्स की मांग बढ़ी और आवेदक को अपने उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने में सहायता मिली। जांच अवधि के दौरान आयात और मांग में बाद की गिरावट मुख्यतः एटी एंड एस के पीसीबी उत्पादन और आयात में कमी के कारण बताई गई। साथ ही, आधार वर्ष की तुलना में अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
 - iii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि संबद्ध आयात उसकी बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर आ रहे थे। कीमत कटौती और कीमत अल्प-बिक्री महत्वपूर्ण बताई गई, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में कीमत हास और कीमत न्यूनीकरण हुआ।
 - iv. आवेदक ने कहा कि कुछ मात्रा-संबंधी संकेतकों में सुधार के बावजूद उसका वित्तीय निष्पादन कमजोर बना रहा। आधार वर्ष में उसने केवल सीमांत लाभ अर्जित किया और उसके बाद घाटे उठाए, तथा नकद लाभ, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और नियोजित पूंजी पर आय में भी समान प्रतिकूल प्रवृत्तियां रहीं। यह प्रस्तुत किया गया कि क्षति विश्लेषण में सकारात्मक और वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर आयात मात्रा, कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए।
 - v. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि क्षति अन्य ज्ञात कारकों के कारण नहीं हुई। आयातों का अत्यधिक बहुमत चीन जनवादी गणराज्य से था, जबकि अन्य देशों से आयात सीमित और सामान्यतः अधिक कीमतों पर थे। क्षति अवधि में मांग बढ़ी, निर्यात निष्पादन की

पृथक रूप से जांच की गई और तकनीकी परिवर्तनों, व्यापार प्रतिबंधों, कच्चे माल अथवा बिजली की कमी, अपर्याप्त क्षमता, निवेश संबंधी बाधाओं अथवा संयंत्र बंदी के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं मानी गई।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

61. नियमावली का नियम 11, उसके अनुबंध-II के साथ पठित, यह उपबंध करता है कि क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, और इसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाएगा, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है।
62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का संज्ञान लिया है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वयं ही हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

मांग/प्रत्यक्ष खपत का आकलन

63. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग/प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	118	163
2	अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	701	334	392
3	चीन जनवादी गणराज्य से आयात	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	151	132
4	अन्य देशों से आयात	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	45	883	22
5	कुल माँग/खपत	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	224	139

64. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग आधार वर्ष में *** मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में *** मात्रा हो गई, जो सूचकांकित रूप में लगभग ***% की वृद्धि दर्शाती है।
65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2023-24 की मांग का आंकड़ा उस वर्ष अकेले ताइवान के विरुद्ध दर्ज *** मात्रा की असाधारण मात्रा के कारण विकृत है, जबकि 2022-23 में यह *** मात्रा और जांच अवधि में *** मात्रा थी। अतः प्राधिकारी ने 2023-24 की मांग अथवा बाजार हिस्सेदारी की स्थिति को प्रतिनिधिक नहीं माना है और प्रवृत्ति विश्लेषण को आधार वर्ष तथा जांच अवधि के बीच तुलना पर आधारित किया है।
66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रासंगिक सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	चीन जनवादी गणराज्य से आयात	मात्रा	68,99,618	1,00,73,147	1,04,30,398	91,26,189
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	151	132
2	भारत में माँग	मात्रा	***	***	***	***
3	भारतीय उत्पादन	मात्रा	***	***	***	***
4	संबद्ध आयातों का निम्नलिखित के सापेक्ष अनुपात:					
i	भारत में माँग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	67	95
ii	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	233	171
iii	कुल आयात	%	85.09%	94.93%	49.40%	97.20%

67. यह देखा गया है कि:

- संबद्ध आयात निरपेक्ष रूप से आधार वर्ष में 68,99,618 मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में 91,26,189 मात्रा हो गए, अर्थात् लगभग 32% की वृद्धि हुई।
- भारतीय मांग के सापेक्ष जांच अवधि में संबद्ध आयातों की ***% हिस्सेदारी आधार वर्ष की ***% हिस्सेदारी से मामूली कम थी। तथापि, भारतीय उत्पादन के सापेक्ष संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जांच अवधि में ***% हो गई।

iii. जांच अवधि में भारत के कुल आयातों में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी 97.20% थी, जबकि आधार वर्ष में यह 85.09% थी।

68. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि वर्ष-दर-वर्ष कमी के बावजूद क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात भारतीय बाजार में आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बने रहे और भारत में उत्पादन के सापेक्ष इनमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध आयात मांग के अनुरूप बढ़े।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

69. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों ने भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण कीमत कटौती की है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा कम करने अथवा सामान्य परिस्थितियों में होने वाली कीमत वृद्धि को रोकने का रहा है।

कीमत कटौती

70. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत से की गई है। पहुँच कीमत का निर्धारण लेन-देन-वार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए निर्धारणीय मूल्य में मूल सीमा शुल्क जोड़कर किया गया है।

विवरण	इकाई	जांच अवधि
आयात की मात्रा	मात्रा	91,26,189
निवल बिक्री कीमत	रु./मात्रा	***
पहुँच कीमत	रु./मात्रा	31.31
कीमत कटौती	रु./मात्रा	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	सीमा (%)	30-40

71. यह नोट किया गया है कि कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

कीमत दमन/अवसाद

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का हास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की नीचे जांच की गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
----------	-------	------	---------	---------	---------	-----------

1	बिक्री की लागत	रु./मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	135	117
2	बिक्री कीमत	रु./मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	103	101
3	चीन जनवादी गणराज्य से आयात की पहुँच कीमत	रु./मात्रा	40.75	40.42	38.04	31.31
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	93	77

73. यह देखा गया है कि:

- घरेलू उद्योग की बिक्री लागत आधार वर्ष में रु. *** प्रति मात्रा (सूचीबद्ध 100) से बढ़कर जांच अवधि में रु. *** प्रति मात्रा (सूचीबद्ध 117) हो गई।
- उसी अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत केवल मामूली रूप से आधार वर्ष में रु. *** प्रति मात्रा (सूचीबद्ध 100) से बढ़कर जांच अवधि में रु. *** प्रति मात्रा (सूचीबद्ध 101) हुई।
- 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि, प्रत्येक में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से कम रही।
- संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत रु. 40.75 प्रति मात्रा से घटकर रु. 31.31 प्रति मात्रा (सूचीबद्ध 77) हो गई और पूरी अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम रही।

74. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग अपनी लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से वंचित रहा और पाटित आयातों का महत्वपूर्ण कीमत-हासकारी प्रभाव पड़ा है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

75. पाटन रोधी नियमावली का अनुबंध-II उपबंध करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

76. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	क्षमता	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100

2	उत्पादन (पीयूसी)	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	86	114
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	86	114
4	घरेलू बिक्री	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	118	163
5	माँग	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	224	139

77. यह देखा गया है कि:

- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता *** मात्रा पर स्थिर रही।
- संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन आधार वर्ष में *** मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में *** मात्रा हो गया।
- क्षमता उपयोग, जो आधार वर्ष में ***% था, जांच अवधि में सुधरकर ***% हो गया।
- घरेलू बिक्री में पर्याप्त वृद्धि हुई और यह आधार वर्ष में *** मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में *** मात्रा हो गई।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये सुधार महत्वपूर्ण अनुकूल संकेतक हैं और यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान माँग में वृद्धि में भाग लेने में सक्षम था। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के साथ कार्य करता रहा। *** मात्रा स्थापित क्षमता के मुकाबले जांच अवधि में उत्पादन *** मात्रा था, जिससे लगभग *** मात्रा क्षमता अप्रयुक्त रही, जबकि उसी समय संबद्ध देश से आयात 91,26,189 मात्रा था।

बाजार हिस्सेदारी

79. भारतीय माँग में घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादक, संबद्ध देश और अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई है:

क्र. सं.	बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	53	117

2	अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	471	149	283
3	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	67	95
4	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	30	394	16

80. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में ***% से सुधरकर जांच अवधि में ***% हो गई, जबकि संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी जांच अवधि में ***% थी, जबकि आधार वर्ष में यह ***% थी।

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य भारतीय मांग के आधे से अधिक हिस्से के लिए उत्तरदायी बना रहा और घरेलू उद्योग को कीमतों अथवा लाभप्रदता में अनुरूप सुधार प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि केवल मात्रा-संबंधी संकेतकों में सुधार वास्तविक क्षति को नकारता नहीं है, विशेषकर जहां पाटित आयात लगातार महत्वपूर्ण कीमत दबाव डालते रहते हैं।

मालसूची

82. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	आरंभिक मालसूची	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	101	94
2	अंतिम मालसूची	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	104	113
3	औसत मालसूची	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	103	103

83. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में केवल मामूली वृद्धि हुई और यह आधार वर्ष में *** मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में *** मात्रा हो गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन ऑर्डर-आधारित और

स्टॉक-आधारित, दोनों रणनीतियों के अंतर्गत करता है और दोहराए जाने वाले ऑर्डरों के लिए तैयार माल की न्यूनतम मालसूची रखता है।

लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

84. लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	कर-पूर्व लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(147)	(773)	(453)
2	ब्याज और कर-पूर्व लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(12)	(322)	(133)
3	नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(18)	(342)	(154)
4	नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(10)	(338)	(110)

85. यह देखा गया है कि:

- घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में रु. *** लाख का लाभ अर्जित किया और उसके बाद प्रत्येक वर्ष घाटा उठाया; जांच अवधि में घाटा रु. *** लाख था।
- घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में रु. *** लाख का नकद लाभ अर्जित किया और उसके बाद प्रत्येक वर्ष नकद घाटा उठाया; जांच अवधि में नकद घाटा रु. *** लाख था।
- ब्याज और कर पूर्व लाभ केवल आधार वर्ष में सकारात्मक था और शेष तीनों अवधियों में ऋणात्मक रहा।
- नियोजित पूंजी पर आय आधार वर्ष में ***% था और उसके बाद ऋणात्मक हो गया; जांच अवधि में यह (***%) था।

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग घाटे में, नकद-ऋणात्मक और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय अर्जित करने वाला हो गया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर भी विचार किया है कि घाटे का आयात मात्रा से एक-से-एक संबंध नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में क्षति

मुख्यतः पाटित आयातों की कम कीमतों से उत्पन्न हुई, जिसने घरेलू उद्योग को अपनी लागत की पूर्ण वसूली करने से रोका।

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

87. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता संबंधी आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	134	131
2	मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	219	213
3	प्रति कर्मचारी मजदूरी	रु./कर्मचारी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	164	162
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	64	87

88. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष में 143 से बढ़कर जांच अवधि में 188 हो गई और वेतन तथा मजदूरी रु. *** लाख से बढ़कर रु. *** लाख हो गई। प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2023-24 में सूचीबद्ध 64 तक घट गई और जांच अवधि में सुधरकर सूचीबद्ध 87 हो गई, किंतु आधार वर्ष से कम रही। घरेलू उद्योग ने कहा है कि इन मापदंडों में परिवर्तन में अनेक कारक शामिल हैं और उसने इन्हें क्षति के कारकों के रूप में दावा नहीं किया है।

वृद्धि

89. नीचे दी गई तालिका विभिन्न मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि दर्शाती है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	उत्पादन	%	5.48%	(18.36%)	32.48%
2	घरेलू बिक्री	%	21.05%	(2.66%)	38.18%
3	कर-पूर्व लाभ	%	(246.70%)	(426.59)%	(41.40%)
4	नकद लाभ	%	(117.68%)	(1,834.33)%	(54.98%)

5	नियोजित पूँजी पर आय (आरओसीई)	%	(110.17%)	(3,225.54)%	(67.43%)
6	मालसूची	%	0.69%	2.07%	0.62%
7	बाजार हिस्सेदारी	%	(18.65%)	(35.34%)	123.23%

90. यह देखा गया है कि जांच अवधि में मात्रा-संबंधी मापदंडों में वृद्धि सकारात्मक थी, उत्पादन में 32.48% और घरेलू बिक्री में 38.18% की वृद्धि हुई, जबकि कीमत-संबंधी और वित्तीय मापदंडों में वृद्धि ऋणात्मक थी। अतः मात्रा संकेतकों के आधार पर क्षति की स्थिति मिश्रित है, जबकि कीमत और वित्तीय संकेतकों के आधार पर अत्यंत प्रतिकूल है।

पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता और पाटन मार्जिन की मात्रा

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग अपनी स्थापित क्षमता के एक महत्वपूर्ण भाग का उपयोग नहीं कर सका है और उसे निरंतर घाटा तथा नियोजित पूँजी पर ऋणात्मक आय हुआ है, जिससे पूँजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि संबद्ध देश से लगभग 92% आयातों के लिए उत्तरदायी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक है और विहित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

वास्तविक क्षति पर निष्कर्ष

92. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:
- संबद्ध देश से आयात निरपेक्ष रूप से आधार वर्ष में 68,99,618 मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में 91,26,189 मात्रा हो गए; इसी अवधि में भारतीय उत्पादन के सापेक्ष वे ***% से बढ़कर ***% हो गए; और भारतीय मांग में उनकी हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में मामूली कम रही।
 - जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ। इन अनुकूल संकेतकों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।
 - इस सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग के पास लगभग *** मात्रा अप्रयुक्त क्षमता बनी रही, जबकि संबद्ध देश से आयात 91,26,189 मात्रा थे।
 - क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में 23% की गिरावट आई जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में ***% की वृद्धि हुई, और जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती 30-40% की सीमा में थी।
 - आधार वर्ष के बाद के प्रत्येक तीन वर्षों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से कम रही, जिससे महत्वपूर्ण कीमत दमन स्थापित होता है।

- vi. आधार वर्ष के बाद की पूरी अवधि, जिसमें जांच अवधि भी शामिल है, में घरेलू उद्योग घाटे में और नकद-ऋणात्मक रहा तथा नियोजित पूंजी पर उसका आय ऋणात्मक रहा।
93. तदनुसार प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को नियमावली के नियम 11 को अनुबंध-II के साथ पढ़े जाने पर वास्तविक क्षति हुई है। जांच अवधि के दौरान कुछ मात्रा-संबंधी संकेतकों में दर्ज सुधार के बावजूद यह क्षति मुख्यतः प्रतिकूल कीमत प्रभावों और घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में परिलक्षित हुई है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

94. नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (v) के अनुसार प्राधिकारी को पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जांच करनी होती है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा हो, ताकि ऐसे अन्य कारकों से हुई क्षति का आरोप पाटित आयातों पर न लगाया जाए। प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात कारकों की जांच की है।

तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

95. जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य देशों से आयात भारतीय मांग का केवल 1.61% था और उनकी औसत सीआईएफ कीमत चीन जनवादी गणराज्य से आयात की कीमत से काफी अधिक थी। 2023-24 में ताइवान के विरुद्ध दर्ज असाधारण मात्रा का ऊपर पृथक रूप से उल्लेख किया गया है और उससे जांच अवधि की स्थिति प्रभावित नहीं होती। अतः तीसरे देशों से आयात जांच अवधि में देखी गई कीमत कटौती अथवा कीमत दमन की व्याख्या नहीं कर सकते और उनसे कोई क्षति आरोपित नहीं की जा सकती।

मांग में संकुचन अथवा खपत के स्वरूप में परिवर्तन

96. भारतीय मांग आधार वर्ष में *** मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में *** मात्रा हो गई, अर्थात् लगभग ***% की वृद्धि हुई। क्षति अवधि में मांग में ऐसा कोई संकुचन नहीं था जो क्षति की व्याख्या कर सके और खपत के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन स्थापित नहीं हुआ है।

एटी एंड एस की मांग और स्रोत-चयन संबंधी निर्णय

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटी एंड एस संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक है और उसके पीसीबी उत्पादन में गिरावट ने जांच अवधि के दौरान आयातों में कमी में योगदान दिया। तथापि, इससे केवल आयात मात्रा में कमी की व्याख्या होती है, प्रतिकूल कीमत प्रभावों की नहीं। संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में 23% की गिरावट आई, कीमत कटौती बढ़कर 30-40% हो गई और घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में 17% की वृद्धि

की वसूली नहीं कर सका। अतः एटी एंड एस के कारण आयात में कमी घरेलू उद्योग को हुई कीमत और वित्तीय क्षति की व्याख्या नहीं करती।

कर्मचारी लागत और निवल स्थिर परिसंपत्तियां

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में प्रति कर्मचारी मजदूरी और निवल स्थिर परिसंपत्तियां बढ़ीं। इन वृद्धियों का आरोप पाटित आयातों पर नहीं लगाया गया है। तथापि, इनसे संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में 23% की गिरावट अथवा कीमत कटौती में वृद्धि की व्याख्या नहीं होती। इसके अतिरिक्त, अनुबंध-III के अंतर्गत क्षति रहित कीमत निर्धारित करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की केवल स्वीकार्य और अनुकूलित लागतों पर विचार किया है तथा दावा की गई लागतों के एक भाग को अस्वीकार किया है।

निर्यात निष्पादन

99. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों पर आधारित किया है। निर्यात बिक्री और निर्यात लाभप्रदता को पृथक किया गया है और वे घरेलू बाजार के लिए क्षति आकलन का भाग नहीं हैं। अतः निर्यात निष्पादन ऐसा कारक नहीं है जो घरेलू बाजार में हुई क्षति की व्याख्या कर सके।

अन्य उत्पादों का निष्पादन

100. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं से संबंधित आंकड़ों की जांच की है। जैसा कि ऊपर दर्ज है, क्षति निर्धारण के लिए जिन लागत, बिक्री और लाभप्रदता आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, उन्हें विचाराधीन उत्पाद तक सीमित रखा गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन विचाराधीन उत्पाद के संबंध में क्षति का संभावित कारण नहीं है।

प्रौद्योगिकी और उत्पाद गुणवत्ता में विकास

101. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो अथवा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु तकनीकी रूप से अप्रचलित अथवा अप्रतिस्थापनीय हो गई हो। एटी एंड एस ने स्वयं घरेलू उत्पाद को समान वस्तु माना है और जांच अवधि में उसे घरेलू स्रोत से खरीदा है। उत्पाद-विशिष्ट तकनीकी भेदों का समाधान अंतिम रूप से अधिसूचित पीसीएन पद्धति के माध्यम से किया गया है। एटी एंड एस का एचडीआई-संबंधी अनुरोध उसके स्रोत-चयन निर्णयों और जनहित आकलन के लिए प्रासंगिक है, किंतु यह स्थापित नहीं करता कि समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद तकनीकी रूप से अप्रतिस्थापनीय है।

व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा

102. ऐसी किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति का आरोप नहीं लगाया गया अथवा उसे स्थापित नहीं किया गया जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकती थी। घरेलू और विदेशी उत्पादक एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं और भारत के भीतर संबद्ध वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर पाटन रोधी शुल्क

103. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि जांच अवधि में उसके मात्रा-संबंधी मापदंडों में सुधार छह परतों तक के कुछ बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर अधिसूचना सं. 03/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा लगाए गए पाटन रोधी शुल्क के कारण हुआ, जिससे घरेलू पीसीबी उत्पादन और परिणामस्वरूप पीसीबी टूल्स की मांग बढ़ी। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि यह उपाय घरेलू उद्योग के मात्रा-संबंधी निष्पादन में सुधार को प्रभावित करने वाला प्रासंगिक बाहरी कारक है। तथापि, यह घरेलू उद्योग के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके पक्ष में कार्य करता है और इसका प्रभाव यह स्पष्ट करना है कि पाटित आयात जारी रहने के बावजूद कुछ मात्रा संकेतकों में सुधार क्यों हुआ। इससे प्रतिकूल कीमत प्रभावों के निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

कारणात्मक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक:

- संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप से और भारत में उत्पादन के सापेक्ष बढ़ी है, और संबद्ध देश ने क्षति अवधि के दौरान भारतीय मांग में प्रमुख हिस्सेदारी बनाए रखी है।
 - क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में 23% की गिरावट आई और यह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा बिक्री लागत से काफी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई कीमत कटौती हुई।
 - पाटित आयातों ने घरेलू कीमतों का हास किया है और घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री लागत में ***% की वृद्धि की वसूली के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका है।
 - आधार वर्ष के बाद की प्रत्येक अवधि, जिसमें जांच अवधि भी शामिल है, में घरेलू उद्योग वित्तीय घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय उठा रहा है।
 - जांच अवधि में घरेलू उद्योग के पास लगभग *** मात्रा अप्रयुक्त क्षमता बनी रही, जबकि संबद्ध आयात 91,26,189 मात्रा थे।
 - कोई अन्य ज्ञात कारक पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को नहीं तोड़ता।
104. ऊपर दिए गए कारणों से प्राधिकारी मानते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए गैर-आरोपण संबंधी तर्क, चाहे वे मांग के साथ आयातों की गति, मात्रा मापदंडों में सुधार, घाटे

और आयात मात्रा अथवा कीमतों के बीच एक-से-एक संबंध की अनुपस्थिति, कर्मचारी लागत और निवल स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि, अथवा एटी एंड एस के स्रोत-चयन संबंधी निर्णयों पर आधारित हों, अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से घरेलू बाजार में पाई गई वास्तविक क्षति की व्याख्या नहीं करते। सत्यापित अभिलेख एक साथ और परस्पर सुदृढ़ करने वाला ऐसा स्वरूप दर्शाता है जिसमें पाटित आयात प्रमुख बाजार हिस्सेदारी बनाए हुए हैं, कीमत कटौती महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई है, कीमत न्यूनीकरण मौजूद है तथा वित्तीय घाटे और ऋणात्मक आय हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण है।

ब. क्षति मार्जिन की मात्रा

105. प्राधिकारी ने संशोधित नियमावली को अनुबंध-III के साथ पठित निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग के साथ-साथ उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अनुसार क्षति रहित कीमत प्राप्त करने के लिए औसत नियोजित पूंजी पर ब्याज, कर और लाभ हेतु 22% की उचित आय दर की अनुमति दी गई है।
106. प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्धारित संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों का क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक	निर्यात की मात्रा (मात्रा)	क्षति रहित कीमत (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	पहुँच कीमत (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	क्षति मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	क्षति मार्जिन (%)	सीमा (%)
1	केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	(20-30)
2	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	***	10-20

107. यह नोट किया गया है कि केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के लिए क्षति मार्जिन ऋणात्मक है और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए यह सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
108. कम शुल्क नियम को लागू करते हुए, प्राधिकरण ने प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर को अपनाया है। संबंधित एड-वैलोरम शुल्क की गणना प्रासंगिक सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में अलग से की गई है।

ट. प्रभाव आकलन

जनहित और घरेलू उद्योग का हित

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जनहित और भारतीय उपयोगकर्ता उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एटी एंड एस") ने प्रस्तुत किया है कि पीसीबी ड्रिल और राउटर पीसीबी विनिर्माण में आवश्यक उपभोज्य आदान हैं और उन्हें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसे टूल्स का चयन आयाम, सटीकता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता से संबंधित ग्राहक-विशिष्ट तथा उत्पाद-विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, विशेषकर उच्च-घनत्व इंटरकनेक्ट ("एचडीआई") और अन्य उच्च-स्तरीय पीसीबी के लिए। अतः ऐसे टूल्स की लागत में कोई वृद्धि पीसीबी विनिर्माण की लागत बढ़ाएगी।
 - एटी एंड एस और केमर ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू आपूर्ति की पूर्ति के लिए आयात आवश्यक हैं और घरेलू उद्योग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। एटी एंड एस ने आगे प्रस्तुत किया है कि वह पीयूसी घरेलू रूप से तथा आयात, दोनों माध्यमों से प्राप्त करता है और तकनीकी योग्यता तथा ग्राहक आवश्यकताओं के कारण स्रोत में परिवर्तन तुरंत करना हमेशा संभव नहीं होता।
 - एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया है कि उसके पीसीबी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग निर्यात किया जाता है और इसलिए पीसीबी टूल्स की लागत में वृद्धि घरेलू तथा निर्यात दोनों बाजारों में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती है।
 - केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है कि जनहित के लिए उपयुक्त उत्पादक-विशिष्ट व्यवहार भी आवश्यक है और जिस सहयोगी उत्पादक का अपना पाटन तथा क्षति मार्जिन सकारात्मक नहीं है, उस पर असहयोगी उत्पादकों पर लागू अवशिष्ट शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया कि पीसीबी ड्रिल और राउटर पीसीबी विनिर्माण में आवश्यक आदान हैं और उनका चयन विशिष्ट तकनीकी तथा गुणवत्ता आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। उसने कहा कि घरेलू आपूर्ति की पूर्ति के लिए आयात आवश्यक हैं और तत्काल स्रोत-परिवर्तन हमेशा संभव नहीं हो सकता। अतः पीसीबी टूल्स की लागत में कोई वृद्धि पीसीबी विनिर्माण लागत बढ़ाएगी।
- ii. एटी एंड एस ने आगे प्रस्तुत किया कि उसके पीसीबी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग निर्यात किया जाता है और अधिक टूल लागत उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती है। केमर ने प्रस्तुत किया कि प्रभाव आकलन में उत्पादक-विशिष्ट व्यवहार भी प्रतिबिंबित होना चाहिए और ऋणात्मक पाटन तथा क्षति मार्जिन वाले सहयोगी उत्पादक पर असहयोगी उत्पादकों पर लागू अवशिष्ट शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी ने विशेष रूप से एटी एंड एस द्वारा उपलब्ध कराई गई परिमाणित सूचना के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के उपयोगकर्ताओं पर पाटन रोधी शुल्क के संभावित प्रभाव की जांच की है। पीसीबी ड्रिल और राउटर पीसीबी विनिर्माण में प्रयुक्त उपभोज्य टूल्स हैं और उनकी लागत पीसीबी उत्पादन लागत का भाग है।
112. जांच अवधि के दौरान एटी एंड एस ने ₹172.57 मिलियन की लागत पर पीयूसी के 63,41,692 मात्रा का उपभोग किया, जबकि उसकी कुल पीसीबी उत्पादन लागत ₹4,359.67 मिलियन थी। इस प्रकार पीयूसी कुल पीसीबी उत्पादन लागत का लगभग 3.96% था।
113. असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निश्चित शुल्क 18% अमेरिकी डॉलर प्रति मात्रा है, जो जांच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर पर लगभग ₹5.98 प्रति मात्रा के बराबर है। यदि अधिकतम प्रभाव के आकलन मात्र के लिए यह शुल्क जांच अवधि के दौरान एटी एंड एस द्वारा उपभोग की गई संपूर्ण मात्रा पर लागू माना जाए, तो अतिरिक्त लागत लगभग ₹37.92 मिलियन होगी।

विवरण	मात्रा / मूल्य	0.07 अमेरिकी डॉलर/मात्रा के निश्चित शुल्क का प्रभाव
पीयूसी की खपत	63,41,692 मात्रा / ₹172.57 मिलियन	अतिरिक्त शुल्क ≈ ₹37.92 मिलियन
पीयूसी की औसत लागत	≈ ₹27.21/मात्रा	₹5.98/मात्रा का शुल्क पीयूसी लागत में ≈ 21.98% वृद्धि करता है

शुल्क के बाद पीयूसी की लागत	₹172.57 मिलियन	≈ ₹210.49 मिलियन
पीसीबी उत्पादन की कुल लागत	₹4,359.67 मिलियन	अतिरिक्त लागत ≈ ₹37.92 मिलियन
कुल पीसीबी-उत्पादन लागत में वृद्धि	—	≈ 0.87%
शुल्क के बाद कुल पीसीबी-उत्पादन लागत	—	≈ ₹4,397.59 मिलियन
शुल्क के बाद पीसीबी-उत्पादन लागत में पीयूसी का हिस्सा	मौजूदा: 3.96%	≈ 4.79%

114. उपरोक्त 0.87% उच्चतम-पक्षीय प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि इसमें यह मान लिया गया है कि एटी एंड एस द्वारा उपभोग किया गया प्रत्येक पीसीबी टूल 0.07 अमेरिकी डॉलर प्रति मात्रा के निश्चित शुल्क के अधीन है। व्यवहार में घरेलू खरीद पर पाटन रोधी शुल्क नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में प्रकटीकृत निर्धारण के अनुसार केमर का पाटन और क्षति मार्जिन ऋणात्मक है और इसलिए उसके पात्र निर्यात अवशिष्ट शुल्क के अधीन नहीं होंगे।
115. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारतीय बाजार चीन जनवादी गणराज्य से आयात पर काफी निर्भर बना हुआ है। साथ ही, जांच अवधि के दौरान आवेदक के पास लगभग 44.84 लाख मात्रा अप्रयुक्त क्षमता थी और बाजार में एक अन्य भारतीय उत्पादक भी उपस्थित है। पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने से आयात प्रतिबंधित भी नहीं होंगे।
116. प्राधिकारी ने एटी एंड एस द्वारा उठाई गई तकनीकी और योग्यता संबंधी आवश्यकताओं का संज्ञान लिया है। तथापि, एटी एंड एस ने स्वयं भारतीय स्रोतों से संबद्ध वस्तुएं खरीदी हैं और अभिलेख पर कोई विशिष्ट पीसीएन अथवा विनिर्देश ऐसा स्थापित नहीं किया गया है जो सामान्यतः घरेलू उत्पादकों से उपलब्ध न हो।
117. तदनुसार, यद्यपि इस प्रकार निर्धारित शुल्क का पीसीबी निर्माताओं की लागत पर कुछ प्रभाव होगा, 0.07 अमेरिकी डॉलर प्रति मात्रा के निश्चित शुल्क का परिमाणित उच्चतम-पक्षीय प्रभाव भाग लेने वाले उपयोगकर्ता की कुल पीसीबी उत्पादन लागत का लगभग 0.87% है। स्रोत मिश्रण के आधार पर वास्तविक प्रभाव इससे कम हो सकता है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह संकेत नहीं देते कि निर्धारित उपाय डाउनस्ट्रीम पीसीबी उद्योग पर असंगत भार डालेगा।

118. तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि जनहित ऐसे उपयुक्त रूप से संतुलित उपाय से सर्वोत्तम रूप से पूरा होता है जो आयातों तक वैध पहुंच बनाए रखते हुए और पीसीबी निर्माताओं की तकनीकी आवश्यकताओं को मान्यता देते हुए पाटन से उत्पन्न क्षतिकारक कीमत लाभ को समाप्त करे। वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ऐसा उपाय डाउनस्ट्रीम पीसीबी उद्योग पर असंगत भार डाले बिना निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, घरेलू सटीक-टूल विनिर्माण और अधिक आपूर्ति-लचीलापन को समर्थन देगा और इसलिए जनहित के प्रतिकूल नहीं होगा।

ठ. प्रकटन के बाद प्राप्त टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

केमर: सहयोग, व्यक्तिगत निर्धारण, ऋणात्मक मार्जिन और शून्य शुल्क

119. केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है कि वह चीन जन. गण. का एकमात्र सहयोगी उत्पादक/निर्यातक है तथा उसके व्यक्तिगत निवल निर्यात मूल्य, उतराई मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की पुष्टि उसके निर्यातक प्रश्नावली उत्तर और पूरक उत्तर में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर की जानी चाहिए। केमर ने प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए ऋणात्मक पाटन मार्जिन और ऋणात्मक क्षति मार्जिन, उसके स्वयं द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्धारित पीसीएन-वार निवल निर्यात मूल्य और उतराई मूल्य तथा पाटनरोधी शुल्क की शून्य दर की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। एटी एंड एस ने केमर के लिए निर्धारित ऋणात्मक मार्जिन की पुष्टि का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि जिस सहयोगी उत्पादक के अपने मार्जिन सकारात्मक नहीं हैं, उस पर असहयोगी उत्पादकों के लिए लागू अवशिष्ट शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
120. केमर ने आगे प्रस्तुत किया है कि यदि उसके व्यक्तिगत निर्धारण से संबंधित किसी आवश्यक गोपनीय गणना में परिवर्तन किया जाता है, तो अंतिम निष्कर्ष जारी किए जाने से पहले संशोधित प्रकटन किया जाना चाहिए। उसने यह भी अनुरोध किया है कि अंतिम निष्कर्षों और शुल्क तालिका में उसका नाम सही रूप में “केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड” दर्ज किया जाए।

घरेलू उद्योग के मात्रा-संबंधी मानदंडों में सुधार और वास्तविक क्षति

121. एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया है कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ तथा क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी और प्रति कर्मचारी मजदूरी भी बढ़ी। एटी एंड एस के अनुसार, ये अनुकूल संकेतक अनुबंध-II के अंतर्गत आकलन के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस

निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि केवल अवशिष्ट श्रेणी के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक होने के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं मानी जा सकती।

मांग-आपूर्ति अंतर, तकनीकी आवश्यकताएं और जनहित

122. एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक बने हुए हैं, विशेषकर इसलिए कि विचाराधीन उत्पाद पीसीबी के उत्पादन में प्रयुक्त एक आगत है, भारत में केवल दो उत्पादक हैं तथा प्रयोक्ताओं की ग्राहक-विशिष्ट गुणवत्ता और तकनीकी आवश्यकताएं हैं। एटी एंड एस ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उसके पीसीबी उत्पादन का एक बड़ा भाग निर्यात किया जाता है और आवश्यक आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। अतः उसने अनुरोध किया है कि अंतिम निर्धारण में उपलब्धता, आपूर्ति स्रोत बदलने संबंधी बाधाओं और डाउनस्ट्रीम जनहित को ध्यान में रखा जाए।

ट.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

प्राधिकारी द्वारा प्रकट निष्कर्षों की पुष्टि का अनुरोध

123. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे, घरेलू उद्योग के दायरे और पात्रता, गोपनीयता, विविध मुद्दों, क्षति और कारणात्मक संबंध, गैर-आरोपण तथा प्रभाव आकलन से संबंधित निष्कर्षों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है, जो उसके द्वारा प्रकटन के बाद उठाए गए विशिष्ट मुद्दों के अधीन है।

पीसीबी विनिर्माण में प्रयुक्त आयातों के लिए उपलब्ध मूल सीमा शुल्क छूट

124. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 25/99-Customs की क्रम सं. 125 में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुद्रित सर्किट बोर्डों के विनिर्माण में उपयोग हेतु आयात किए जाने वाले सॉलिड कार्बाइड ड्रिल्स और राउटर्स शामिल हैं तथा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन मूल सीमा शुल्क की शून्य दर प्रदान की गई है। इसलिए घरेलू उद्योग ने जहां यह छूट लागू हो, वहां उतराई मूल्य की पुनः जांच करने का अनुरोध किया है और तर्क दिया है कि उतराई मूल्य कम होने से कीमत कटौती और क्षति मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं।

केमर के स्वयं-विनिर्मित और व्यापारित वस्तुओं के निर्यात का पृथक्करण

125. घरेलू उद्योग ने केमर द्वारा विनिर्मित वस्तुओं और किसी असंबद्ध चीनी उत्पादक से प्राप्त करके केमर द्वारा व्यापारित बताई गई वस्तुओं के बीच किए गए पृथक्करण को चुनौती दी है। उसने केमर के उत्पाद ब्रोशर में दिए गए उत्पाद विवरणों और कोडिंग तथा अपने लेन-देन-वार विश्लेषण पर भरोसा करते हुए दावा किया है कि आयात विवरण केमर

की वाणिज्यिक कोडिंग प्रणाली के अनुरूप हैं। उसने यह भी कहा है कि आयात आंकड़ों में छह पीसीएन दिखाई देते हैं, जबकि केमर के लिए प्रकट व्यक्तिगत निर्धारण में तीन पीसीएन शामिल हैं। इस आधार पर घरेलू उद्योग ने निर्यात लेन-देन में उत्पादक की पहचान, पता लगाने की क्षमता और पीसीएन मिलान की पुनः जांच का अनुरोध किया है तथा केमर के लिए निर्धारित ऋणात्मक पाटन और क्षति मार्जिन पर आपत्ति की है।

पाटनरोधी शुल्क का स्वरूप

126. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यदि शुल्क की सिफारिश की जाती है, तो उसे प्रति पीस निश्चित राशि के बजाय यथामूल्य आधार पर व्यक्त किया जाए। उसने प्रस्तुत किया है कि पीसीबी ड्रिल्स और राउटर्स में अनेक पीसीएन शामिल हैं, जिनके विनिर्देशों, लागतों और कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। यथामूल्य उपाय से कम कीमत वाले उत्पादों पर अनुपातहीन शुल्क भार तथा अधिक कीमत वाले उत्पादों पर अपर्याप्त शुल्क भार से बचा जा सकेगा।

उत्पादक की पहचान और व्यक्तिगत शून्य दर के दुरुपयोग की रोकथाम

127. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यदि केमर को व्यक्तिगत शून्य दर दी जाती है, जबकि अन्य उत्पादक/निर्यातक अवशिष्ट शुल्क के अधीन हैं, तो भाग न लेने वाले उत्पादकों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं को उसके माध्यम से भेजकर उस दर का दुरुपयोग होने से रोका जाना चाहिए। उसने प्रत्येक खेप के लिए उत्पादक की पहचान संबंधी आवश्यकता निर्धारित करने का अनुरोध किया है, जिसमें वस्तुओं के वास्तविक उत्पादक की पहचान करने वाली घोषणा भी शामिल हो, ताकि सीमा शुल्क प्राधिकारी उत्पादक-विशिष्ट सही दर लागू कर सकें।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

प्रकटन-पश्चात जांच में विशेष रूप से संशोधित न किए गए निष्कर्ष

128. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, केमर और एटी एंड एस द्वारा दाखिल प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों पर अभिलेख में पहले से उपलब्ध सूचना के साथ विचार किया है। नीचे विशेष रूप से जांच किए गए मुद्दों को छोड़कर, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे, घरेलू उद्योग और पात्रता, गोपनीयता, असहयोगी पक्षकारों के साथ व्यवहार, वास्तविक क्षति, कारणात्मक संबंध और जनहित के संबंध में ऊपर दर्ज निर्धारणों की पुष्टि करता है। प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में आगे संबोधित विशिष्ट मुद्दों से परे इन निर्धारणों को पुनः खोलने का कोई आधार सामने नहीं आया है।

मूल सीमा शुल्क छूट और उतराई मूल्य

129. प्राधिकारी नोट करता है कि अधिसूचना सं. 25/99-Customs की क्रम सं. 125 में मुद्रित सर्किट बोर्डों के विनिर्माण में प्रयुक्त सॉलिड कार्बाइड ड्रिल्स और राउटर्स शामिल हैं। तथापि, यह प्रविष्टि विनिर्दिष्ट टैरिफ अध्यायों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को कवर करती है, जिनमें अध्याय 82 शामिल नहीं है; वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण अध्याय 82 के अंतर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह छूट निर्धारित अंतिम-उपयोग और प्रक्रियात्मक शर्तों के अधीन है। इसलिए केवल अधिसूचना में ड्रिल्स और राउटर्स का उल्लेख होने से यह स्थापित नहीं होता कि विचाराधीन उत्पाद के सभी आयात मूल सीमा शुल्क की शून्य दर के पात्र हैं।
130. हितबद्ध पक्षकारों ने लेन-देन-वार आयात अभिलेखों के माध्यम से यह स्थापित नहीं किया है कि क्षति विश्लेषण में विचार किए गए संबद्ध आयात उक्त छूट के पात्र थे और वास्तव में इसी छूट के अंतर्गत सीमा शुल्क निकासी की गई थी। तदनुसार, प्राधिकारी केवल अधिसूचना के आधार पर संपूर्ण आयात मात्रा पर शून्य मूल सीमा शुल्क लागू करना उचित नहीं मानता है। इसलिए इस आधार पर उतराई मूल्य के निर्धारण में परिवर्तन नहीं किया गया है। इससे ऐसी किसी व्यक्तिगत खेप का सीमा शुल्क संबंधी व्यवहार प्रभावित नहीं होता, जो लागू विधिक आवश्यकताओं को पूरा करती है।

केमर का सहयोग, उत्पादक-वार पृथक्करण और व्यक्तिगत मार्जिन

131. प्राधिकारी पुष्टि करता है कि केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड एक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक है। उसके निर्यातक प्रश्नावली उत्तर और पूरक सूचना की उसके व्यक्तिगत निर्धारण के प्रयोजन से जांच की गई है। व्यक्तिगत दर की उत्पादक-विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप, जांच अभिलेख में केमर द्वारा विनिर्मित तथा भारत को निर्यातित के रूप में पहचाने गए केवल *** पीस को उसके व्यक्तिगत निर्यात मूल्य और उतराई मूल्य के निर्धारण में शामिल किया गया है। किसी अन्य उत्पादक द्वारा विनिर्मित और केवल केमर द्वारा निर्यातित अथवा व्यापारित वस्तुओं को केमर की व्यक्तिगत दर का लाभ नहीं मिलता तथा वे अवशिष्ट श्रेणी में आती हैं।
132. प्राधिकारी ने केमर के उत्पाद कोड और विवरणों के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रस्तुति की जांच की है। किसी उत्पाद कोड या विवरण का मेल अपने आप यह सिद्ध नहीं करता कि वस्तुओं का विनिर्माण केमर ने किया था। प्रश्नावली उत्तर और लेन-देन संबंधी अभिलेखों के आधार पर विनिर्माता की पहचान की गई है। प्रकटन-पश्चात प्रस्तुतियां प्राधिकारी द्वारा पहले से अपनाए गए व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराती हैं।

133. अतः प्राधिकारी केमर के स्वयं-विनिर्मित निर्यातों में शामिल तीन पीसीएन, अर्थात् पीसीडीबीयूसी, पीसीडीसीयूसी और पीसीडीयूसी के संबंध में उसके व्यक्तिगत निर्धारण की पुष्टि करता है। भारित औसत निवल निर्यात मूल्य और उतराई मूल्य ऊपर किए गए निर्धारण के अनुसार यथावत हैं। केमर का पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ऋणात्मक बने हुए हैं। इसलिए केमर द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के पात्र निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है। चूंकि अंतिम निर्धारण में केमर के लिए कोई महत्वपूर्ण रूप से भिन्न प्रतिकूल तथ्यात्मक आधार या पद्धति नहीं अपनाई गई है, इसलिए पुनः प्रकटन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।
134. प्राधिकारी नियम 14 पर केमर द्वारा किए गए भरोसे को भी नोट करता है। चूंकि केमर के लिए निर्धारित व्यक्तिगत पाटन मार्जिन ऋणात्मक है, इसलिए उसके पात्र निर्यातों पर किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है। तथापि, देश-व्यापी जांच में अन्य उत्पादक/निर्यातक भी शामिल हैं, जिनके पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं; उन उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्धारण नीचे दी गई शुल्क संबंधी सिफारिश में अलग से किया गया है।

अनुकूल मात्रा संकेतकों के बावजूद वास्तविक क्षति

135. प्राधिकारी ने उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सेदारी, रोजगार और मजदूरी में सुधार को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा है। ये अनुकूल संकेतक हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया गया है। तथापि, अनुबंध-II में सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों का समग्र मूल्यांकन अपेक्षित है और वास्तविक क्षति का निष्कर्ष निकालने के लिए प्रत्येक संकेतक में गिरावट होना अनिवार्य शर्त नहीं है।
136. जांच अवधि में घरेलू उद्योग को कीमत और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना जारी रहा। संबद्ध आयातों का उतराई मूल्य घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम रहा; कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण थी; बिक्री लागत आधार वर्ष के स्तर से लगभग ***% अधिक थी, जबकि बिक्री कीमत केवल लगभग ***% अधिक थी; और घरेलू उद्योग घाटे में रहा, उसका नकद लाभ ऋणात्मक था तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक था। इसलिए अनुकूल मात्रा संकेतक स्थापित प्रतिकूल कीमत प्रभावों और वित्तीय क्षति को निष्प्रभावी नहीं करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ऊपर दर्ज वास्तविक क्षति के निष्कर्ष की पुष्टि करता है।

मांग-आपूर्ति अंतर, तकनीकी आवश्यकताएं और जनहित

137. प्राधिकारी पुनः स्पष्ट करता है कि मांग-आपूर्ति अंतर अपने आप पाटन, क्षति या कारणात्मक संबंध को नकारता नहीं है और पाटनरोधी शुल्क आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। अभिलेख दर्शाता है कि जांच अवधि में आवेदक के पास लगभग *** लाख

पीस की अप्रयुक्त क्षमता थी और भारत में एक अन्य उत्पादक भी मौजूद है। प्राधिकारी ने एटी एंड एस की तकनीकी अर्हता और आपूर्ति स्रोत से संबंधित चिंताओं पर भी विचार किया है; तथापि, अभिलेख में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट पीसीएन या विनिर्देश स्थापित नहीं हुआ है जो भारतीय उत्पादकों से सामान्यतः उपलब्ध न हो, और एटी एंड एस ने स्वयं जांच अवधि में भारतीय स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद खरीदा था।

138. उपाय के स्वरूप और स्तर पर डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के दृष्टिकोण से भी विचार किया गया है। सीआईएफ के 17% की अवशिष्ट यथामूल्य दर पर, यदि यह मान लिया जाए कि एटी एंड एस की जांच अवधि की संपूर्ण खपत जांच अवधि की औसत सीआईएफ कीमत पर अवशिष्ट दर के अधीन होगी, तो उसका ऊपरी-सीमा का अंकगणितीय प्रभाव लगभग ₹32.20 मिलियन होगा, जो उसकी कुल पीसीबी उत्पादन लागत के लगभग 0.74% के बराबर है। यह एक सतर्क उदाहरण है, क्योंकि घरेलू खरीद और केमर से शून्य दर पर पात्र आयातों पर अवशिष्ट शुल्क का भार नहीं पड़ेगा। इसलिए प्राधिकारी पुष्टि करता है कि उपयुक्त रूप से निर्धारित उपाय से डाउनस्ट्रीम पीसीबी उद्योग पर अनुपातहीन भार पड़ना अथवा उसका जनहित के प्रतिकूल होना प्रदर्शित नहीं हुआ है।

शुल्क का यथामूल्य स्वरूप

139. प्राधिकारी उपाय के स्वरूप के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध को स्वीकार करता है। विचाराधीन उत्पाद में अनेक पीसीएन के अंतर्गत पीसीबी ड्रिल्स और पीसीबी राउटर्स शामिल हैं, जिनके विनिर्देशों और कीमत स्तरों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। इन परिस्थितियों में प्रति पीस समान निश्चित राशि की तुलना में शुल्क को सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने से कम और अधिक कीमत वाले प्रकारों पर अधिक आनुपातिक शुल्क भार बना रहता है। इसलिए कमतर शुल्क नियम के अधीन अंतिम शुल्क की सिफारिश यथामूल्य आधार पर की जाती है।

उत्पादक की पहचान संबंधी सुरक्षा उपाय और केमर का सही नाम

140. प्राधिकारी व्यक्तिगत शून्य दर के दुरुपयोग संबंधी चिंता को प्रासंगिक मानता है, क्योंकि यह दर उत्पादक-विशिष्ट है। इन निष्कर्षों में पृथक उद्गम प्रमाण-पत्र की आवश्यकता बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्गम संबंधी दस्तावेज लागू सीमा शुल्क कानून द्वारा विनियमित होते हैं। तथापि, व्यक्तिगत शून्य दर का लाभ वास्तविक उत्पादक की पहचान करने वाले और शुल्क तालिका के नीचे विनिर्दिष्ट उत्पादक घोषणा वाले वैध वाणिज्यिक चालान की प्रस्तुति पर निर्भर होगा। जहां ऐसी घोषणा प्रस्तुत नहीं की जाती, अथवा वस्तुओं का विनिर्माण केमर के अतिरिक्त किसी अन्य उत्पादक द्वारा किया जाता है, वहां अवशिष्ट शुल्क लागू होगा।

141. प्राधिकारी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक का सही नाम “केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड” भी दर्ज करता है और शुल्क तालिका में इसी नाम का उपयोग किया गया है।

ड. निष्कर्ष

142. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, की गई प्रस्तुतियों, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और ऊपर दर्ज विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:
- विचाराधीन उत्पाद “प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टूल्स” है, अर्थात् ऊपर निर्धारित दायरे और पीसीएन पद्धति वाले पीसीबी ड्रिल्स और पीसीबी राउटर्स, जो चीन जन. गण. के मूल के हैं अथवा वहां से निर्यातित हैं।
 - इंड-स्प्रिंकस प्रिंसीजन लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है और आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
 - केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. का एकमात्र सहयोगी उत्पादक/निर्यातक है, जिसका व्यक्तिगत उत्तर निर्धारण के लिए स्वीकार किया गया है। उसका पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ऋणात्मक हैं। तदनुसार, केमर द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के पात्र निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क अपेक्षित नहीं है।
 - चीन जन. गण. के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण हैं। कमतर शुल्क नियम के अनुसार क्षति मार्जिन कम है और यही अवशिष्ट शुल्क की सिफारिश का आधार है।
 - घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी सहित कुछ मात्रा संकेतकों में सुधार दर्ज किया। साथ ही, संबद्ध आयात पर्याप्त मात्रा में बने रहे, कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण थी, क्षति अवधि के दौरान आयातों के उतराई मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट हुई, घरेलू कीमतों का दमन हुआ तथा घरेलू उद्योग घाटे में रहा, उसका नकद लाभ ऋणात्मक था और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक था।
 - प्राधिकारी ने मांग में वृद्धि, आयातक के आपूर्ति स्रोत संबंधी निर्णय, कर्मचारी लागत, निवल स्थिर परिसंपत्तियां, निर्यात प्रदर्शन, अन्य उत्पाद, प्रौद्योगिकी और तीसरे देशों से आयात सहित ज्ञात अन्य कारकों की जांच की है। ये कारक अभिलेख पर स्थापित प्रतिकूल कीमत प्रभावों और वित्तीय क्षति की व्याख्या नहीं करते हैं।

इसलिए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

- vii. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते कि अनुशंसित उपाय से वस्तुओं की कमी उत्पन्न होगी अथवा डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर अनुपातहीन भार पड़ेगा। अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क के अधीन आयात उपलब्ध रहेंगे और अवशिष्ट दर पर भाग लेने वाले प्रयोक्ता पर परिमाणित ऊपरी-सीमा प्रभाव उसकी पीसीबी उत्पादन लागत का लगभग 0.74% है। इसलिए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि उपयुक्त रूप से निर्धारित पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के प्रतिकूल नहीं है।

ढ. सिफारिशें

143. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच शुरू की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और जनहित पर सूचना उपलब्ध कराने तथा प्रस्तुतियां देने का पर्याप्त अवसर दिया गया। प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा दाखिल प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों पर भी विचार किया है।
144. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तुएं पाटित हैं और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रही हैं, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम राशि के बराबर अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना आवश्यक मानता है। विचाराधीन उत्पाद में शामिल विभिन्न पीसीएन के विनिर्देशों और कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए शुल्क की सिफारिश यथामूल्य आधार पर की जाती है।
145. तदनुसार, प्राधिकारी चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की वस्तुओं के आयात पर नीचे दी गई शुल्क तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। शुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा और विधि के अनुसार पहले निरस्त, अधिक्रमित अथवा संशोधित किए जाने तक पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ शीर्ष	वस्तुओं का विवरण*	मूल देश	निर्यात देश	उत्पादक	सीआईएफ के प्रतिशत के रूप में शुल्क
1	2	3	4	5	6	7
1	82075000, 82077090 और 82079090	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टूल्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	शून्य
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 में उल्लिखित उत्पादक के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	17%
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	17%

**पीयूसी केवल पीसीबी ड्रिल और पीसीबी राउटर तक सीमित है, जिनका शैंक व्यास मानकीकृत 3.175 मिमी आकार का है।*

टिप्पणी - ऊपर उल्लिखित कंपनी के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दर का लाभ सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा, जिस पर चालान जारी करने वाली संस्था के ऐसे अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित घोषणा हो, जिसकी पहचान उसके नाम और पद से की गई हो। घोषणा निम्नलिखित रूप में होगी:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान के अंतर्गत भारत को निर्यात हेतु बेची गई (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है।” यदि ऐसा चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों के लिए लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनाई जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

ण. आगे की प्रक्रिया

146. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकती है।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 25-09-2026
16:54:30

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी